Available online at http://www.nrjp.co.in

Journal of Management Science, Operations & Strategies
Vol. 3, Issue, 01. 71-78p, April. 2019

National Research & Journal Publication

Review Article

शालात्यागी बालिकाओं की स्थिति: - सिद्धार्थनगर जिले के बांसी क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में

डॉ अर्चना मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर, बी एड विभाग
रतन सेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बांसी, सिद्धार्थनगर

Abstract

बालिकाओं की शिक्षा में समाज में अतिरिक्त रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सुदढ़ता आती है जिसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। साक्षरता का दर बढ़ना मानव पूंजी के लिए सकारात्मक संकेत है। साक्षरता और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति को शिक्षित करना आवश्यक है। भारत की साक्षरता दर 74.04% है (जनगणना 2011) महिला साक्षरता दर 65.46% और पुरुष साक्षरता दर 82.14% राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों के मुकाबले महिलाएं 16.68% पीछे है। भारत सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भी सहायता प्रदान करने की कोशिश की है। समय-समय पर निवेश राशि, योजना नीतियाँ भी बनायी है जिससे इन वर्गों को सहयोग मिला है। इससे हमें साक्षरता एवं शिक्षा प्राप्ति की दर में वृद्धि दिखाई देती है।

Copyright©2019, *डॉ अर्चना मिश्रा* *This is an open access article for the issue release and distributed under the NRJP Journals License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.*

परिचय

एक बार नेपोलियन ने कहा था - "राष्ट्र की प्रगति प्रशिक्षित और शिक्षित माताओं के बिना असंभव है और अगर मेरे देश की महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता है तो लगभग आधे लोग अनपढ़ रहेंगे।" इस प्रकार हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें कोई भी महिला अनपढ़ न हो। महिलाओं को पुरुषों की तरह शिक्षा के क्षेत्र में बराबर मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी तरह के विकास के अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पूरे देश में लड़कियों की शिक्षा के स्तर का महत्व और प्रगति के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उचित जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं। एक जानकार महिला अपने पूरे परिवार को और पूरे देश को शिक्षित कर सकती है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति समाज और राष्ट्रीय विकास प्रक्रियाओं के लिए मौखिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में समानता लायी जा सकती है। यह सर्वकालिक रूप से मान्य है कि शिक्षा ने व्यक्तियों के विकास से राष्ट्रीय विकास में मुख्य भूमिका निभाई है।

(i) बालिकाओं की शिक्षा

एक लड़की को एक बेहतर माता-पिता, कार्यकर्ता और नागरिक होने के लिए बहुत अधिक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, और यह विश्वास उसे उचित शिक्षा द्वारा ही मिलता है। शिक्षा

महिलाओं के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का अवसर प्रदान करती है। इसलिए लड़कियों को बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षित महिलाओं के पास गरीबी से बचने का उच्च मौका होता है, जो स्वस्थ और अधिक उत्पादक जीवन का नेतृत्व करती हैं, और उनके बच्चों, परिवारों और समुदायों के साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर उठती है।

शीर्ष कारण जिसके लिए हम सभी को लड़की की शिक्षा का समर्थन करना चाहिए-

- मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए
- शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए
- सामाजिक विकास में सुधार करने के लिए
- बाल विवाह को कम करने के लिए।
- जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए
- कुपोषण को कम करने के लिए।
- घरेलू हिंसा और यौन हिंसा को कम करने के लिए।

उपरोक्त सभी सामाजिक लक्ष्य उचित बालिका शिक्षा के साथ आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि आज भी कई लड़कियों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना एक चुनौती है।

भारत को आर्थिक व सामाजिक रूप से विकसित होने के लिए बालिका शिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बालिका शिक्षित होगी तो उससे दो परिवारों का उत्थान होना निश्चित है। इन्हें शिक्षित करना समाज का दायित्व है। इन्हें बिना किसी भेदभाव से शिक्षित कर भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में समाज को मदद चाहिए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों (प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक) में बालिकाओं की दर्ज संख्या बालकों की तुलना में कम रही है। दूसरी उल्लेखनीय बात यह ज्ञात होती है कि जैसे– जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया है बालिकाओं के नामांकन में कमी आती गई है। इसका अर्थ यह है कि प्राथमिक स्तर पर नामांकित अनेक बालिकाएं शाला त्याग (ड्राय आउट) देती हैं। ड्राप आउट (शाला जाना छोड़ने) के ये उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत ये आंकड़े इस स्थिति के कारणों पर भी विचार करेंगे।

लड़कियों के (बालिका) शिक्षा की चुनौतियाँ

- कम जागरूकता का पैमाना बालिका शिक्षा का बड़ा कारण है।
- सरकार बालिका शिक्षा के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम प्रदान कर रही है।
- रूढ़िवादी परंपरावाद भी बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बाधा है।
- -महिलाओं में सामाजिक चेतना का अभाव।
- -एक उचित शिक्षा प्रणाली का अभाव बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है।
- लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा राष्ट्रीय विकास का एक अभिन्न अंग है, इसलिए बालिका शिक्षा पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है।
- एक अच्छी शिक्षा की आवश्यक व्यवस्था हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए।
- भारतीय महिलाओं के बीच जागृति को हाल के वर्षों के दौरान वास्तव में माना और बढ़ाया गया है।
- एक पत्नी और एक माँ होने के अलावा, एक महिला को देश में एक निर्णायक भूमिका

निभानी चाहिए और योजना और प्रगति करनी चाहिए, और उसे अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहिए।

- उसके बाद पत्नी और माँ का रोले भी निभाना है।
- और वह केवल अपने देश और खुद के शैक्षिक सेट के आपसी सहयोग से ऐसा कर सकती है।

हमारी लड़कियों में सभी संभावित गुण हैं, मानसिक, शारीरिक, लेकिन उन्हें तब तक पोषित करना होगा जब तक कि वे पूर्ण और गौरवशाली नारीत्व में विकसित न हो जाएं।

बालिका शिक्षा का महत्व

लड़कियाँ किसी भी समाज की भावी माँ होती हैं। स्कूल लड़कियों को जीवन कौशल, प्रजनन स्वास्थ्य ज्ञान और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सामाजिक स्थान प्रदान कर सकते हैं। लड़कियों की शिक्षा के साथ आने वाले कई बदलाव इस प्रकार हैं-

1. **आर्थिक सशक्तिकरण-** अगर हमारी आधी आबादी पुरुषों पर निर्भर है तो विकास का कोई साधन नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण तब आएगा जब हम हर बालिका को शिक्षित करेंगे।
2. **सुधरा हुआ जीवन-** बालिकाओं की शिक्षा एक अच्छे जीवन के सुधार में मदद करती है। उसे अपने अधिकारों का पता चल जाएगा। उसके जीवन में एक सामान्य सुधार होगा।
3. **बेहतर स्वास्थ्य-** वह बेहतर स्वास्थ्य विकल्पों और सुविधाओं के बारे में जान सकेगी। शिक्षा के माध्यम से, वे एक स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व कर सकते हैं।
4. **गरिमा और सम्मान-** एक सशक्त महिला उन हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है जो उन्हें अपना आदर्श बना सकती हैं।
5. **रुचि द्वारा पेशा-** सही शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही लड़कियां अपनी पसंद का पेशा चुन सकेंगी।

लड़कियों के (बालिका) शिक्षा में सुधार के तरीके: –

हमारे देश में बालिका शिक्षा को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में, बालिका शिक्षा में प्रतिशत की कमी है, जहां हम उनके बीच बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट दर देख सकते हैं।

सही शिक्षा- सही शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो एक लड़की को बेहतर भविष्य चुनने और बनाने में मदद कर सकता है। यहां तक कि प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच कन्या विद्यालय को सशक्त बनाने में मदद कर सकती है। बालिका सशक्तीकरण जमीनी स्तर पर शुरू होता है। शिक्षा के माध्यम से और जागरूकता पैदा करके ही हम एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

लैंगिक समानता भी एक विषय है जिस पर हम काम करेंगे; हम बालिका शिक्षा में एक अच्छा सुधार ला सकते हैं। इसके लिए, सबसे पहले, परिवार को लड़कियों की शिक्षा और एक बालिका के मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए।

लड़की की सुरक्षा- जब लड़कियों को लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है, तो उन्हें किसी पर हमला करने की आशंका होती है। हमें सभी छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर काम करना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, जो उनके

जीवन और हमारे समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

संपत्ति में एक शेयरधारक- अपनी पैतृक संपत्ति में लड़कियों को समान अधिकार देकर उनके सशक्तीकरण का रास्ता साफ किया जा सकता है। शिक्षित व्यक्ति किसी भी चीज़ को बेहतर और तेज़ी से समझ सकता है, वह समाज को एक साथ रहने के लिए बेहतर जगह बना सकता है।

सिद्धार्थनगर जिले में बालिकाओं की शिक्षा :- किसी भी वंचित वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बालिका शिक्षा का बढ़ना महत्वपूर्ण है । भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों / सिद्धांतों में खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के शैक्षणिक हितों में अलग से प्रावधान है। सिद्धार्थनगर जिले में साक्षरता की दर 76.06% है जिसमें से पुरुष 80.51% एवं महिला 52.66% साक्षरता है। सिद्धार्थनगर जिले में की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर (74.04)% औसत से नीचे है। सिद्धार्थनगर जिले में महिलाओं की साक्षरता दर पिछले एक दशक में 43.09% (2001) से बढकर 52.66% (2011) हो गई है । हालांकि पुरुष व महिला साक्षरता के बीच अभी भी 27.08% का भारी अंतर है

अध्ययन के उद्देश्य :

1. शालात्यागी बालिकाओं की ग्राम पंचायत स्तर पर वास्तविक संख्या ज्ञात करना।
2. शालात्यागी बालिकाओं को बाधा एवं सहायता पहुँचाने वाले घटकों का अध्ययन करना।
3. बालिका शिक्षा के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण।

शोध प्रविधि :

सामाजिक शोध में प्रविधि की भूमिका काफी महत्वपूर्णहै । शोध डिज़ाइन परियोजना है जिसे शोधकर्ता द्वारा इस ढंग से तैयार किया जाता है कि इसमें प्राक्कल्पना लेखन तथा इसका सक्रियात्मक आसन से लेकर आकड़ों का अंतिम विश्लेषण तक की रूप रेखा निहित होती है। इससे स्पष्ट है कि शोध डिज़ाइन शोध के विषयों के बारे में आनुभाविक सबूत प्रदान करने की एक वैज्ञानिक परियोजना है।

प्रतिदर्शन :

करलिंगर (1986) ने प्रतिदर्शन को परिभाषित करते हुए कहा है - "किसी जीवसंख्या या समष्टि से उस जीवसंख्या या समष्टि के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन प्रतिदर्शन कहलाता है । इस अध्ययन में शोधकर्ता ने उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन का चयन किया है। "उद्देश्य के पूर्ण प्रतिदर्शन वह है जिसे स्वेच्छा से चुना जाता है क्योंकि उसमें जीवन संख्या के प्रतिनिधि होने का अच्छा सबूत मौजूद होता है । शोधकर्ता ने 100 प्रतिदर्शन किये है प्रतिदर्शन के चयन का आधार सरकारी विद्यालय की हाजरी पुस्तिका से शालात्यागी बालिकाओं की सूची तैयार करना । सूची के अनुसार पांच ग्राम पंचायत में 20 परिवार चुने गये जहाँ शालात्यागी बालिकायें मिली । इन बालिकाओं का शिक्षा का स्तर 6-8 कक्षा है। बालिकाओं की आयु 11-14 वर्ष है। आकंड़ों की वैधता के लिए पुनः माता पिता से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी। अध्ययन के लिए मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों आंकडे इकट्ठा किये गये जिससे आंकड़ों की वैधता, शुद्धता मिले।

आंकड़ों का विश्लेषण :

• उद्देश्य एक पर चर्चा : शालात्यागी बालिकाओं की ग्राम पंचायत स्तर पर वास्तविक संख्या ज्ञात करना।

तालिका क्रमांक 01 शालात्यागी बालिकाओं का 100 परिवारों का सर्वेक्षण

क्र.सं	गांव पंचायत	गांव का नाम	परिवारों की संख्या	शालात्यागी बालिकाओं की संख्या	प्रतिशत
1	हर्रैया	हर्रैया	20	17	23.94
2	हाता खास	हाता खास	20	12	16.90
3	रेहरा	रेहरा	20	17	23.94
4	पकरडीहा	पकरडीहा	20	14	19.71
5	सेखुईया	सेखुईया	20	11	15.49
		कुल	**100**	**71**	

संदर्भ प्राथमिक क्षेत्र से आंकड़े (2012)

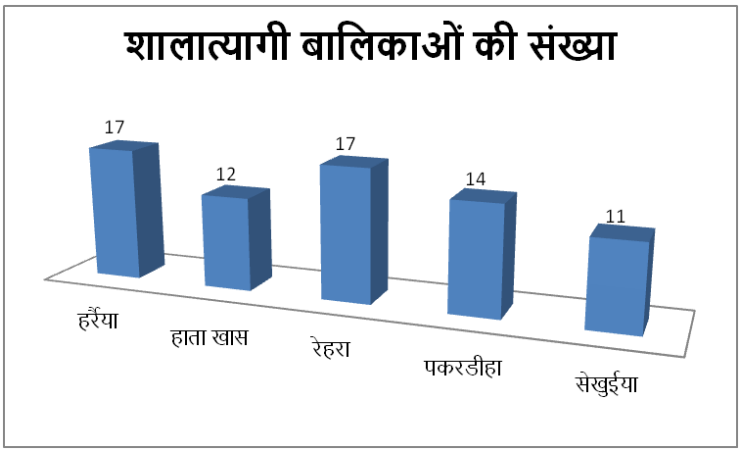

तालिका क्रमांक 01 में दर्शाये गये आंकड़े दिखाते है कि 100 परिवारों में से 7.1 बालिकाएँ शालात्यागी है। तालिका के अनुसार सर्वाधिक बालिकायें हर्रैया एवं रेहरा ग्राम पंचायत में 23.94% प्राप्त हुई है। सबसे न्यूनतम शालात्यागी बालिकायें सेखुईया 15.49% और हाता खास 16.90% प्राप्त हुई है।

पांच ग्राम पंचायत में 100 परिवारों के सर्वेक्षण के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि 100 परिवारों में 71% शालात्यागी बालिकाएँ है। सर्वोच्च (23.94%) न्यूनतम (15.49%) ग्राम पंचायत की परस्पर तुलना करने पर आपसी अन्तर 8.45% नजर आता है।

उद्देश्य दो पर चर्चा: शालात्यागी बालिकाओं को बाधा एवं सहायता पहुँचाने वाले घटकों का अध्ययन करना।

तालिका क्रमांक 02 शालात्यागी बालिकाओं के कारणों का सर्वेक्षण

उद्देश्य दो के लिए गुणात्मक आंकड़े प्रश्नावली प्रेषण के माध्यम से माता-पिता से संग्रहित किये गये है । गांव के ज्ञानी लोगों से चर्चा करने पर निम्नलिखित आंकड़े सामने आये । वे बाधा के घटक के रूप में माने गये है।

क्र.सं	**कारणों का सर्वेक्षण**	**प्रतिशत**
1	विद्यालय का दूर क्षेत्र पर होना	25
2	बालिकाओं का बाल विवाह, खेत में कार्य, मजदूरी करना, नीची जाति होने पर विद्यालय में भेदभाव	15
3	विद्यालय में महिला शिक्षक	10
4	परिवार से पढ़ने वाली प्रथम पीढ़ी	11
5	मासिक आमदनी के लिए कृषि पर निर्भर	19
6	आर्थिक स्थिति, पुरानी गरीबी	20
7	शौचालय की सुविधा	10
	कुल	**100**

कारणों का सर्वेक्षण

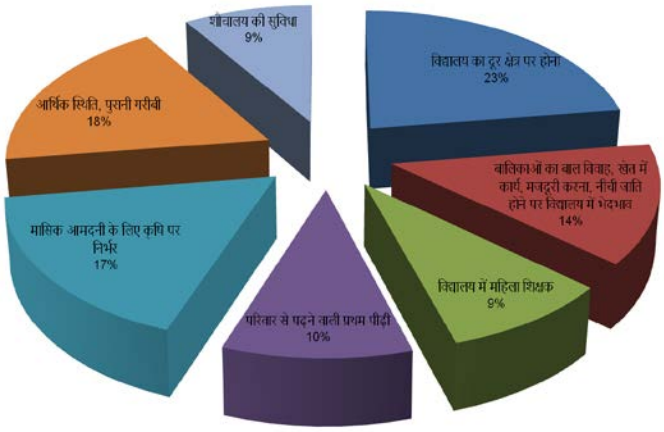

- 25% विद्यालय का दूर क्षेत्र पर होना ।
- 15% अन्य कारण बतायें जैसे बालिकाओं का बाल विवाह, खेत में कार्य, मजदूरी करना, नीची जाति होने पर विद्यालय में भेदभाव ।
- •10% विद्यालय में महिला शिक्षक नहीं है । जिसके कारण बालिकाएं अपनी पढ़ाई एवं अपनी समस्याएं पूरी तरह खुल कर नहीं बता सकती । वे पुरुष शिक्षक से संकोच महसूस करती है।
- 11% ये शालात्यागी बालिकायें अपने परिवार से पढ़ने वाली प्रथम पीढ़ी है ।
- 19% ये 100 परिवार मासिक आमदनी के लिए कृषि पर निर्भर रहते है ।
- 20% माता पिता शालात्यागने का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति, पुरानी गरीबी बताते है ।
- 10% बालिकाओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है ।

उद्देश्य तीन पर चर्चा : बालिका शिक्षा के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण।

- जब माता-पिता खेत में कार्य करने जाये तब बालिका का घरेलू कार्यों पर ध्यान देना
- बालिका शिक्षा को भविष्य के रूप में देखना नहीं चाहते।
- लड़को को मजदूरी करनी है जिससे परिवार की आमदनी में मदद मिलेगी।
- लड़की की 15-18 आयु के दौरान शादी करके अन्य घर भेजना।

माता-पिता से जब पूछा गया कि शिक्षा के लिए किस प्रकार के हस्तक्षेप होने चाहिए

(i) 25% वित्तीय सहायता
(ii) 28% नि-शुल्क शिक्षा प्रदान करना
(iii) 30% प्रेरणा, उत्साह बढ़ाना
(iv) 10 %सरकार बेहतर शिक्षा के लिए नई योजना बनाये
(v) 10% अन्य सहायता (सीखने के साथ कमाना)

पुरानी गरीबी एवं कर्ज से परेशान माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय छोड़ने पर मजबूर करते है। गरीब माता-पिता गांव के जमींदार, मुखिया से पैसे ऋण के रूप में लेते हैं। माता-पिता ये ऋण चुकाने में अक्षम होते है। इसका नतीजा ये है कि माता-पिता को उधार लिया ऋण चुकाने के लिए बच्चे खेत में कार्य करते हैं। इस मामले में गांव का सेठ, माता-पिता को 3,000-4000 रुपये अग्रिम राशी के रूप में दे देता है। यह सेठ संपर्क करके बच्चों को वाहन से भेज देता है।

निष्कर्ष :

बालिका की शिक्षा की बालकों की तुलना में कमी को दूर करने के लिए न केवल शैक्षिक सुविधाओं का व्यापक विकास करना आवश्यक है बल्कि बालिका शिक्षा के मार्ग की अवरोधक स्थितियों का निराकरण भी जरूरी है। बालिका शिक्षा की असमता के कारणों हेतु ठोस तथा कारगर उपाय उठाए जाने की भी आवश्यकता है। इस हेतु विशेष योजनाएं, अधिक बजट आवंटन के साथ प्रशासन के सख्त व अनुकूल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बालिकाओं के शालात्यागने के दो मुख्य कारण है 1) पुरानी गरीबी, 2) बाल श्रम। शिक्षा का अधिकार 2009 पहले से ही खंड में क्रियान्वित है। लेकिन उनका लाभ बालिकाओं को प्राप्त नहीं हो रहा है। शिक्षक एवं मातापिता दोनों को आपस में मिलकर कार्य करना होगा जिससे बालिकाये अपनी शिक्षा पूरी कर सके। शिक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिससे राज्य की साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी होगी।

संदर्भ सूची :

1. शिक्षा की स्थिति वार्षिक रिपोर्ट 2014 प्रथम संस्थान
2. भारत बहिष्कार रिपोर्ट 2013-14 बदलाव के लिए पुस्तक, नई दिल्ली
3. आर. विमला,2013, दलित होने का क्या मतलब ? बच्चे हमारी विद्यालयों में आर्थिक राजनीतिक साप्ताहिक नवंबर 2, 2013
4. श्वेता बगई आर नीरा बिन्दु 2009 आदिवासी शिक्षा का अच्छा संतुलन
5. एल. भंडारी बारदोलाई 2006 आय में भिन्नता और शिक्षा के लिए वापसी, आर्थिक

राजनीतिक साप्ताहिक, 403, (36), 3894: 3899, 09, 2006

6. शिक्षा सभी के लिए गुणवत एवं न्यायपूर्ण दिशा की ओर . रिपोर्ट राष्ट्रीय शैक्षिकयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
7. एम. सारुमथी, ज्ञानमुद्रा, 2014 शिक्षा का अधिकार : चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ,राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
8. डेक्कन क्रॉनिकल समाचार पत्र, पहियों पर विद्यालय, 09 फरवरी, 2016 पेज 08
9. जनगणना 2011, भारत सरकार